महिलाओं से सम्बंधित समस्याएं

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	स्लाइड संख्या
1	महिला (परिचय)	4 - 5
2	उद्देश्य	6
3	महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आंकड़े	7 - 18
4	Video - मौका नहीं जिम्मेदारी	19
5	केस स्टडी	20 - 23
6	हिंसा के प्रकार व सम्बन्धित कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	24 - 30
7	महिलाओं से सम्बंधित समस्याएं व सम्बन्धित कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	31 - 32
8	यौन उत्पीड़न तथा कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	33 - 45
9	केस स्टडी	46 - 48
10	महिला तस्करी तथा कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	49 - 56

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	स्लाइड संख्या
12	गर्भपात एवं कन्या भ्रूण हत्या तथा कानूनी प्रावधान	60 - 62
13	केस स्टडी	63 - 65
14	घरेलू हिंसा तथा कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	66 - 72
15	दहेज उत्पीड़न तथा कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	73 - 77
16	केस स्टडी	78 - 80
17	अपहरण/ व्यपहरण तथा कानूनी प्रावधान एवं PRV की भूमिका	81 - 84
18	PRV कर्मियों की प्राथमिक भूमिका	85
19	महिला सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ	86 - 89
20	हेल्पलाइन	90 - 92
21	क्विज	93 - 97

परिचय

परिच
य

समाज व परिवार का आधार - महिलाएं

स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है (धारा 10 IPC)

उद्देश्य

इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे:

- महिलाओं के प्रति संवेदनशील तथा विनम्र व्यवहार करने में
- महिलाओं को प्रताड़ना से मुक्त कराने में
- प्रताड़ित/ प्रभावित महिला की समस्याओं के विधि सम्मत समाधान में सहयोग करने में
- महिला हित में कार्यरत विभिन्न

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 दर्ज महिला सम्बंधित अपराध

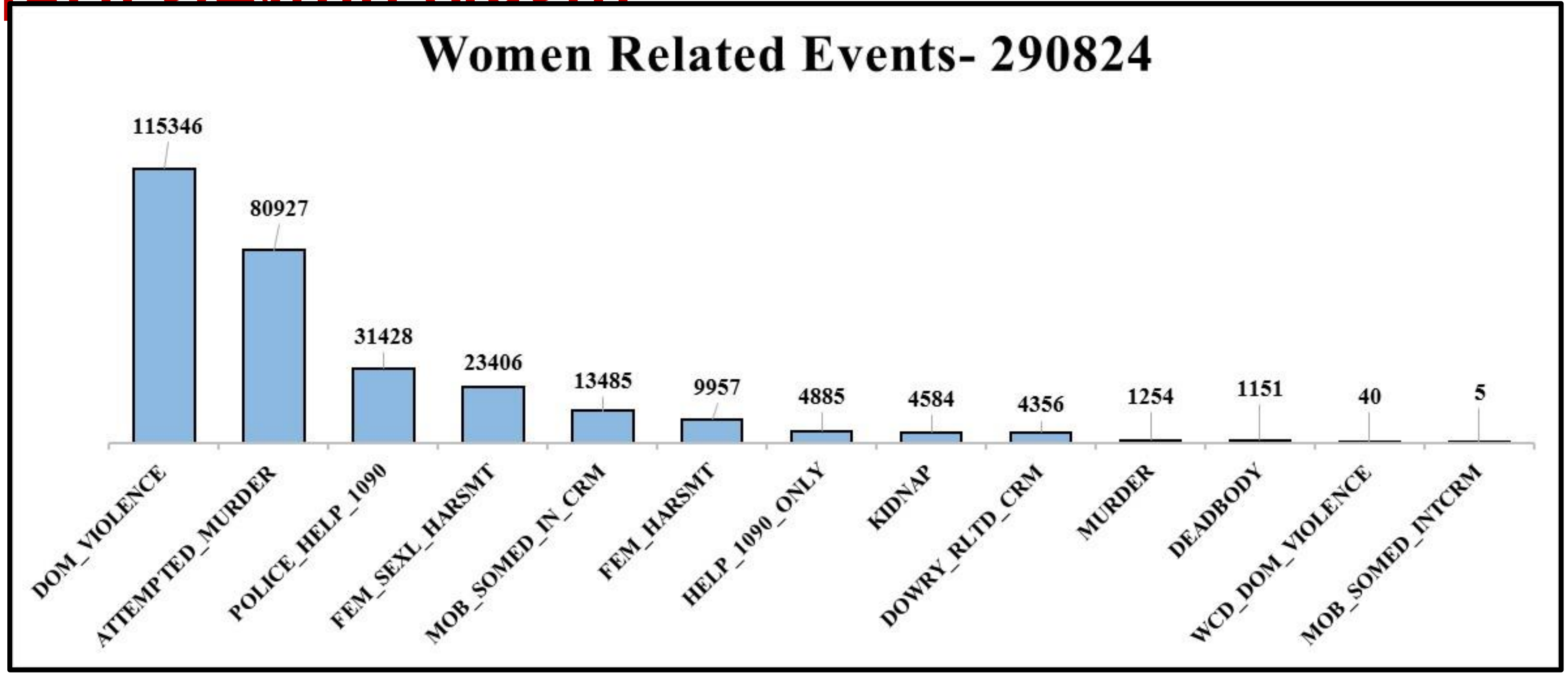

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

घरेलू हिंसा

- EXPEL_WIFE_HOUSE (पत्नी को पति या परिजनों द्वारा घर से बाहर निकालना)
- FAM_HARSMT_WIFE (परिजनों द्वारा महिला को अन्य यातना / प्रताड़ना देना)
- HUS_BEAT_WIFE (पति द्वारा पत्नी को मारना पीटना)
- INLAWS_HARSMT (ससुराल में अन्य प्रकार की यातना/ प्रताड़ना)
- RELT_BEAT_WIFE (पति के परिजनों द्वारा पत्नी को मारना पीटना)
- HOUSE_ARREST (घर से बाहर न निकलने देना)

UP 112 में दर्ज हुए घरेलू हिंसा के आंकड़े (01st Apr 2023 to 31st March 2024)

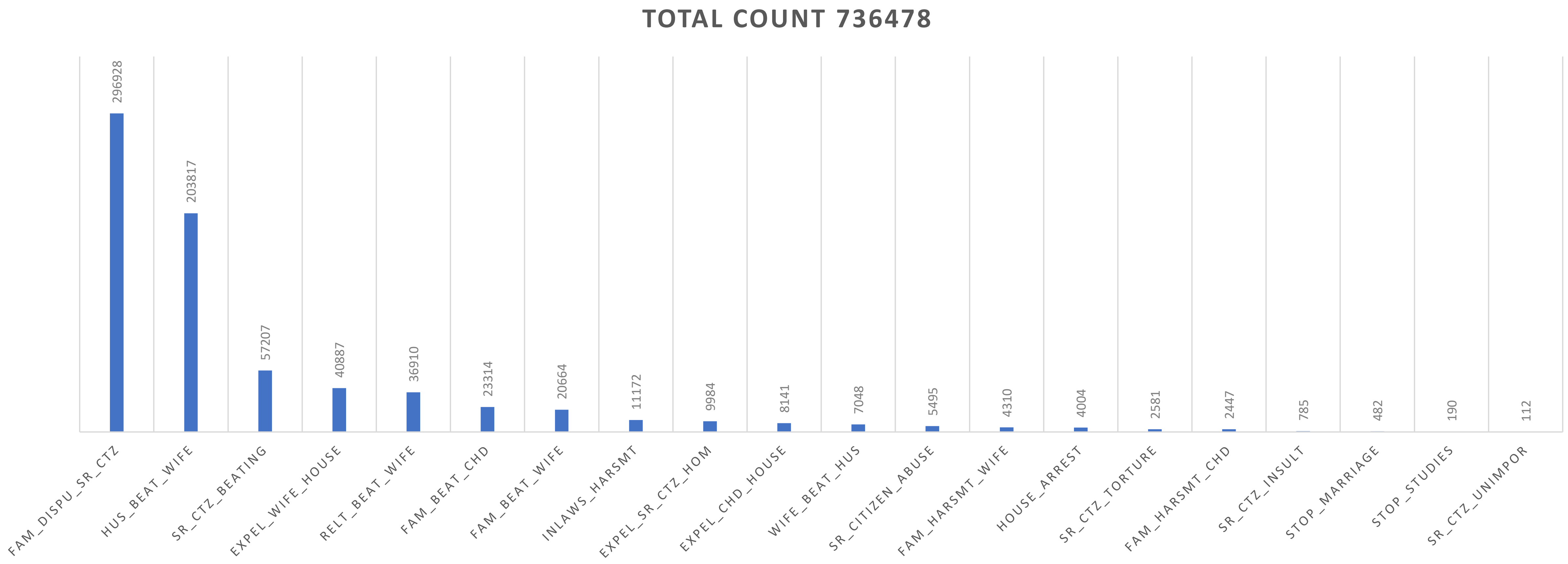

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

DOWRY_RLTD_CRM (दहेज सम्बन्धी अपराध)

- AT_MURS_FOR_DWRY (दहेज के लिये हत्या का प्रयास)
- HARSMT_FOR_DWRY (दहेज के लिये मारना-पीटना/ प्रताड़ित करना/यातना देना)
- MURDER (हत्या)

UP 112 में दर्ज हुए दहेज़ से सम्बंधित घटनाओं के आंकड़े
(01st Apr 2023 to 31st March 2024)

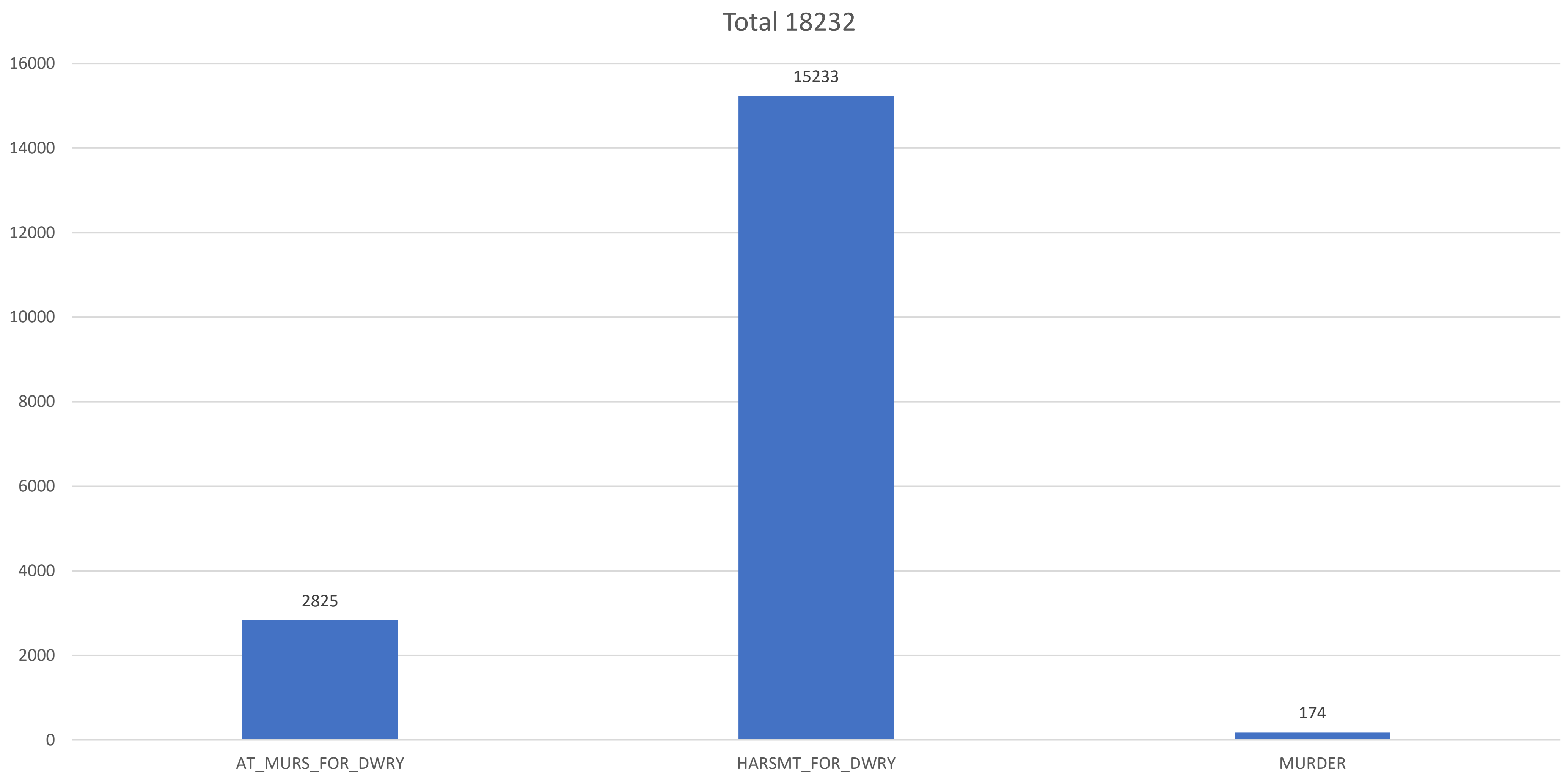

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

FEM_HARSMT (महिला उत्पीड़न)

- ABUSE (गाली देना)
- ATTACK (हमला करना)
- FORCED_TO_MARRY (जबरन शादी करना)
- INDECENT_TALKS (अशोभनीय वार्ता)
- INFO_KIDNAPPING (अपहरण की सूचना)
- INSULT (अपमानित करना)
- THROWING_ACID (एसिड फेंकना)

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

FEM_SEXL_HARSMT (महिला यौन उत्पीड़न)

- AT_RAPE_CAMPUS (किसी भवन या परिसर में बलात्कार का प्रयास)
- AT_RAPE_MOV_VEH (चलते वाहन में बलात्कार का प्रयास)
- PROSTITUTION (वैश्यावृति)
- RAPE_IN_CAMPUS (किसी भवन या परिसर में बलात्कार)
- RAPE_IN_MOV_VEH (चलते वाहन में बलात्कार)
- TEASING_PB_PLACE (सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़)
- TEASING_PB_TRANS (यातायात के सार्वजनिक साधनों में छेड़छाड़)

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

KIDNAP (अपहरण)

- WOMEN_KIDNAP (महिला का अपहरण)
- WOMEN_KIDNAPPNG (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत महिला का अपहरण।)

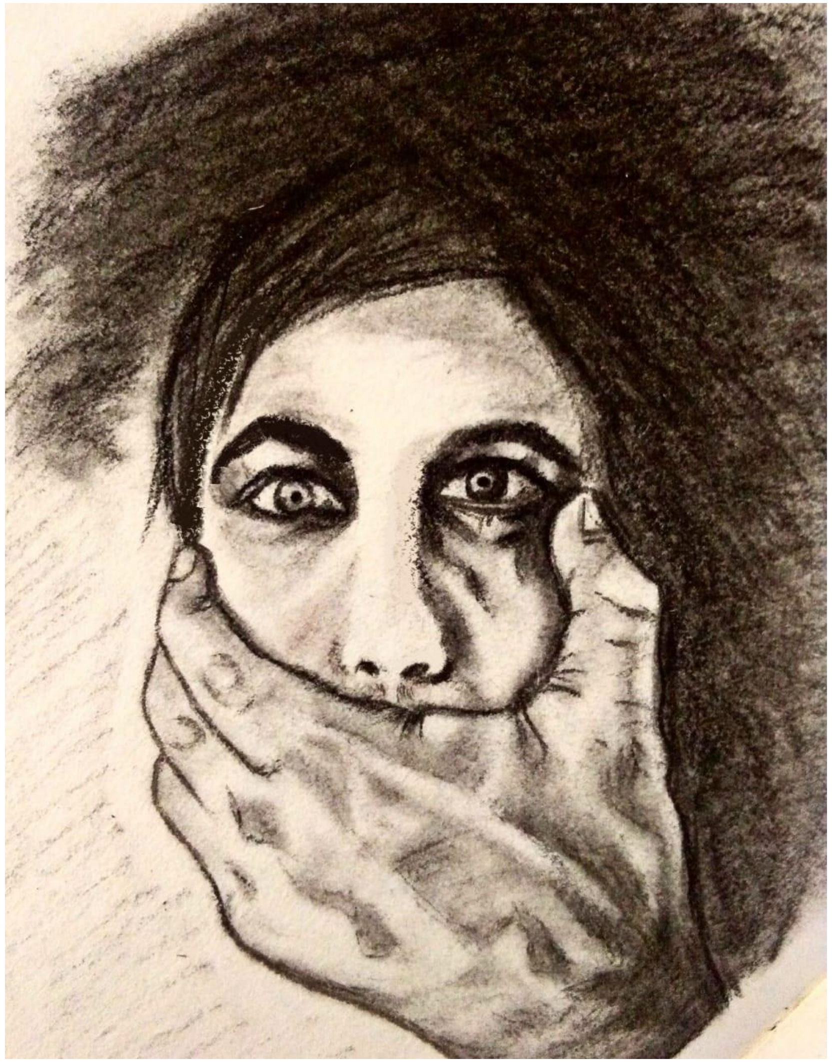

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

MOB_SOMED_IN_CRM (फोन/मोबाईल/सोशल मीडिया/ इंटरनेट सम्बन्धी अपराध)

- DRUN_CALL_WOMEN (महिला को शराब पीकर काल करना)
- OBS_MSG_PICP_WOM (महिलाओं की अश्लील संदेश / तस्वीर पोस्ट)
- OBS_TALKS_WOMEN (में अश्लील वार्ता महिलाओं)
- THREATEN_WOMEN (महिला को धमकी देना)
- ABUSE_WOMEN (महिला से अशोभनीय वार्ता)

विडियो - मौका नहीं जिम्मेदारी हैं

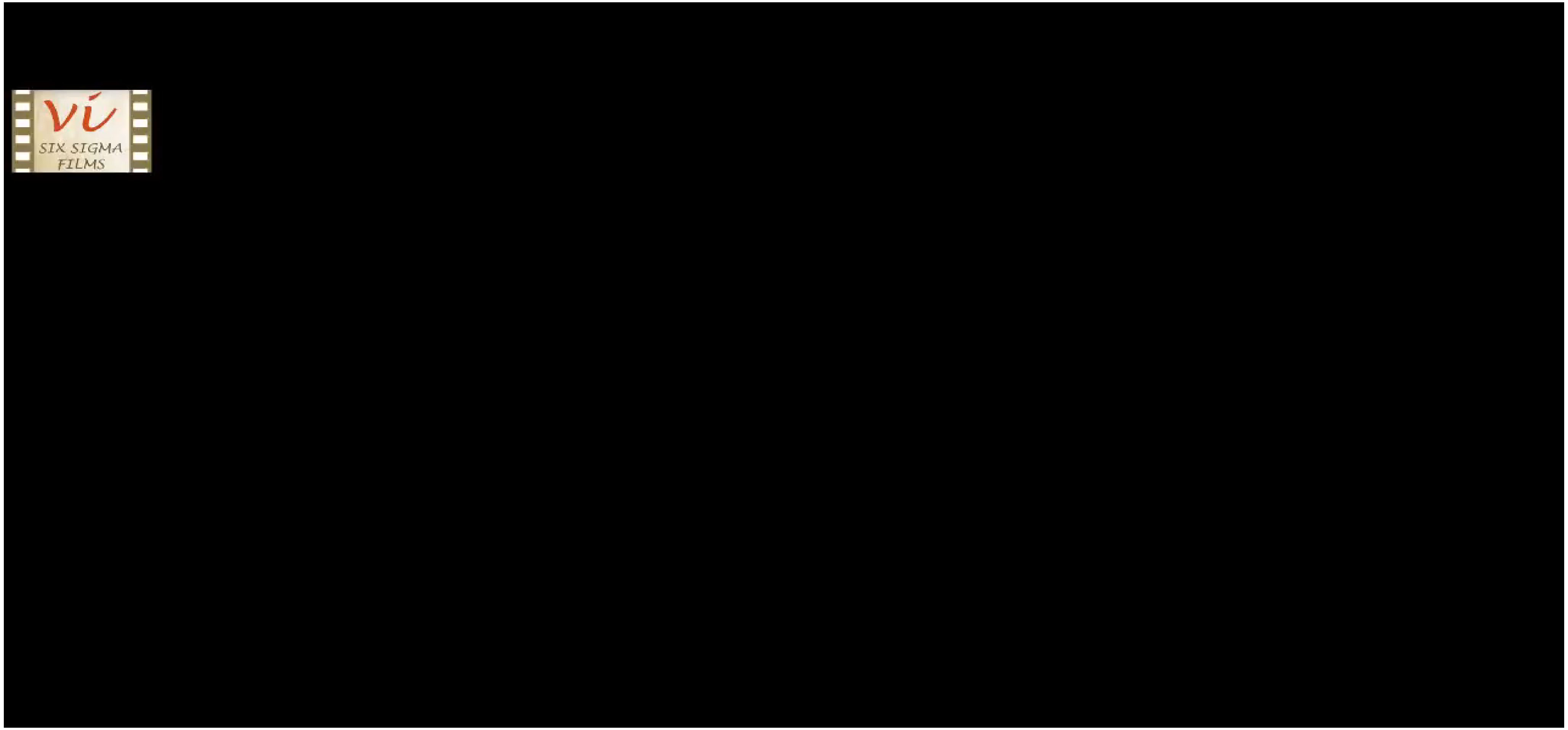

केस स्टडी

- इवेंट नं - P27021904384
- कॉलर ने क्या कहा

Audio 3_Expel Wife.wav

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

हिंसा के प्रकार

- शारीरिक हिंसा
- मानसिक हिंसा
- सामाजिक हिंसा
- आर्थिक

शारीरिक हिंसा

- मारपीट करना
- धारदार हथियार से हम
  करना
- जलाने का प्रयास करन
- जान से मारने का प्र
  करना

कानूनी प्रावधान

- **धारा-326 क IPC**- अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124(1) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड**- 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माना जो पीड़ित के चिकित्सीय उपचार व्यय के अनुपात में होगा तथा जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जायेगा।

- **धारा-326 ख IPC**- स्वेच्छया अम्ल फेकना या फेकने का प्रयत्न करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड**- 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

मानसिक हिंसा

- गाली-गलौज करना
- बुराई करना
- उपहास करना
- दहेज आदि के लिए अपमानित करना
- संतान या बेटा न होने पर ताना देना
- शिक्षा या नौकरी में अवरोध उत्पन्न करना
- बाहर जाने या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए रोकना
- अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने

सामाजिक हिंसा

- अंधविश्वास जनित हिंसा
- ऑनर किलिंग
- जातिगत हिंसा
- संपत्ति सम्बन्धित विवाद
- बहु-विवाह

आर्थिक हिंसा

- मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से रोकना
- नौकरी कर रही महिला का वेतन ले लेना
- नौकरी नहीं करने देना
- दैनिक खर्च ना देना

कानूनी प्रावधान

- **धारा-406** - अपराधिक न्यासभंग विवाहित महिला स्त्री धन हड़पना (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 361(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड-** 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों

महिलाओं सम्बंधित समस्याएं

भ्रूणावस्था
- लिंग चयनात्मक गर्भपात
- भ्रूण हत्या

शैशव एवं बाल्यावस्था
- नवजात शिशु हत्या
- अपहरण
- बाल विवाह
- बाल श्रम
- घरेलू हिंसा
- वैश्यावृति
- बाल दुर्व्यवहार

तरुणावस्था
- अपहरण
- घरेलू हिंसा
- वैश्यावृति
- छेड़छाड़ / लज्जा भंग
- बाल विवाह

व्यस्क महिला
- दहेज़ उत्पीड़न / दहेज़ हत्या
- घरेलू हिंसा
- व्यभिचार
- वैश्यावृति
- अपहरण
- छेड़छाड़ / लज्जा भंग
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न
- [illegible]

प्रौढ़ावस्था/ वृद्धावस्था
- शारीरिक और मानसिक क्रूरता
- घरेलू हिंसा
- आर्थिक हिंसा
- अपहरण
- परित्याग

कानूनी प्रावधान - विवाह सम्बन्धी अपराध

- **धारा 493 IPC** विवाहित महिला के साथ अपराध- विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित विवाह करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास- दण्ड 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित)

- **धारा 494 IPC** पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना- दण्ड 07 वर्ष तक कारावास और जुर्माना (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82(1) द्वारा प्रतिस्थापित)

- **धारा 495 IPC** पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर पश्चावर्ती विवाह- 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82(2) द्वारा प्रतिस्थापित)

- **धारा 496 IPC** विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह पूरा करना- दण्ड 07 तक कारावास व जुर्माना(भारतीय नयाय संहिता 2023 की धारा 83 द्वारा

ट्रिपल तलाक़ सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

- तलाक़ - ए - बिद्दत के लिए दंड - अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास संग जुर्माना |
- विधेयक, तालक को एक संज्ञेय अपराध घोषित करता है जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है |
- अपराध तभी संज्ञेय होगा जब अपराध से सम्बंधित जानकारी दी गयी हो; विवाहित महिला (जिसके खिलाफ तलाक़ घोषित किया गया हो) द्वारा , या रक्त या विवाह द्वारा उससे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति द्वारा |
- मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जमानत दे सकता है परन्तु जमानत पीड़ित महिला की सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है एवं जब मजिस्ट्रेट को दिए गए आधार उचित हो |
- महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को कम किया जा सकता है |
- पीड़ित महिला अपने पति से अपने लिए और अपने आश्रित बच्चों के लिए [illegible]

यौन उत्पीड़न

- बलात्कार करना या करने की कोशिश करना
- गलत नीयत से देखना और इशारे करना
- बॉडी शेमिंग
- लज्जा भंग करने के लिए शरीर के किसी भाग को छूना
- यौन स्वीकृति के लिए अनचाहा दबाव बनाना
- अश्लील टिप्पणियाँ करना
- अनचाहे पत्र/सन्देश भेजना और फोन करना
- कार्य सम्बन्धी या किसी अन्य चर्चा को यौन विषयों में बदलना
- द्विअर्थी संवादों का प्रयोग करना

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-294 IPC-अश्लील कार्य और गाने-** किसी सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील कार्य करना, अश्लील बातें करना या अश्लील गाने गाना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 3 मास तक कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **धारा-354 IPC-** स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-354 क IPC-** लैंगिक उत्पीड़न: (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित)

  1. अवान्छनीय लैगिंक सम्बन्ध हेतु शारीरिक सम्पर्क और अग्र क्रियाएं।

  2. लैगिंक स्वीकृति की मांग या अनुरोध।

  3. स्त्री की इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य दिखाना।

  4. लैंगिक आभाषी टिप्पणियां करना।

  दण्ड- 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **धारा-354 ख IPC-** किसी पुरूष द्वारा विवस्त्र करने या विवस्त्र होने हेतु विवश करने के लिए किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना या दुष्प्रेरण (उकसाना) करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित)

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-354 ग IPC-** दृश्यरतिकता- किसी प्राइवेट कृत्य (स्नान करने, कपड़ा बदलने, शौच करते, श्रृगांर करते आदि एकान्तता के कृत्य) में लगी किसी स्त्री को एकटक देखना या उसका चित्र खींचना या उस चित्र को प्रसारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अपराध की पुनरावृत्ति पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

- **धारा-354 घ IPC-** पीछा करना- किसी स्त्री द्वारा स्पष्टरूप से अनिच्छा के बावजूद उससे व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने के लिए बारम्बार पीछा करना और सम्पर्क करना या सम्पर्क करने का प्रयत्न करना, किसी स्त्री द्वारा इण्टरनेट, ई-मेल या किसी अन्य

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-376(1) IPC-** बलात्संग के लिए दण्ड- 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-376(2) IPC-** पुलिस अधिकारी, लोकसेवक प्रतिप्रेच्छागृह के कर्मचारी आदि कतिपय स्थितियों में बलात्संग की दशा में 10 वर्ष से शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-376(3) IPC-** 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग की स्थिति में 20 वर्ष से शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना, जुर्माने का भुगतान पीड़िता को किया जायेगा। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(1) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-376 क IPC-** पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृत चित कारित करने के लिए (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 66 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 20 वर्ष से शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास या मृत्यु दण्ड।

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-370 IPC-** व्यक्ति का दुर्व्यापार (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 7 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

  - एक से अधिक व्यक्तियों के दुर्व्यापार की स्थिति में दण्ड 10 वर्ष तक आजीवन कारावास और जुर्माना।
  - किसी अवयस्क के दुर्व्यापार की स्थिति में 10 वर्ष तक आजीवन कारावास और जुर्माना।
  - एक से अधिक अवस्यक के दुर्व्यापार की स्थिति में 14 वर्ष तक आजीवन कारावास और जुर्माना।
  - किसी व्यक्ति अवयस्क का एक से अधिक बार दुर्व्यापार का दोषी पाये जाने पर शेष नैसर्गिक जीवन काल के लिए कारावास और जुर्माना।
  - किसी लोकसेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्व्यापार की स्थिति में शेष

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा- 326 क IPC-** अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।(भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124(1) द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माना जो पीड़ित के चिकित्सीय उपचार व्यय के अनुपात में होगा तथा जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जायेगा।

- **धारा- 326 ख IPC-** स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124(2) द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 05 वर्ष से 07 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-376 क ख IPC-** 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- 20 वर्ष से शेष नैसर्गिक जीवनकाल का कारावास और जुर्माना या मृत्युदण्ड। जुर्माने का भुगतान पीड़िता को किया जायेगा।
- **धारा-376 ख IPC-** पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- 2 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- **धारा-376 ग IPC-** प्राधिकार किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- 5 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

कानूनी प्रावधान - यौन उत्पीड़न

- **धारा-376 घ IPC-** सामूहिक बलात्संग- 20 वर्ष से शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(1) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-376 घ क IPC-** 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना जो पीड़िता के चिकित्सीय व्यय के समानुपातिक होगा और पीड़िता को भुगतान किया जायेगा। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-376 घ ख IPC-** 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना या मृत्युदण्ड। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-376 ड. IPC-** पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड-शेष नैसर्गिक जीवनकाल के लिए कारावास या मृत्यु दण्ड। (भारतीय

पी आर वी कर्मी की भूमिका (महिला यौन उत्पीड़न)

- मौके पर पहुंचकर पीड़िता को सुरक्षा का एहसास दिलाना
- पीड़िता से उसके परिजनों का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना
- यदि पीड़िता घायल है तो उसको एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना और सहमति के आधार पर उसकी चिकित्सा करवाना (परिवार जन या महिला पुलिस कर्मी के साथ)
- मौके की स्थिति का सही आंकलन कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल, महिला थानाध्यक्ष/ महिला आरक्षी को घटनास्थल पर भेजने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करना
- यदि अभियुक्त मौजूद हों तो उसे/ उन्हें हिरासत में लेना
- घटना स्थल को सुरक्षित रखना जब तक थाने का बल ना आ जाये

पी आर वी कर्मी की भूमिका (महिला यौन उत्पीड़न)

- थाने के प्रतिनिधि के घटनास्थल पर पहुँचने पर घटनास्थल, पीड़िता एवं अभियुक्तों को उन्हें सुपुर्द कर घटना से सम्बन्धित सारी जानकारी देना
- पीड़ित महिला की सहमति से स्थानीय थाने की महिला आरक्षी के साथ थाने ले जाकर प्रकरण को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/ दिवसाधिकारी अथवा हे0मो0/ कां0 मो0) को हस्तांतरित करना
- यदि महिला थाना ना जाना चाहे तो थाना पुलिस पीड़ित महिला के पास आकर सूचना दर्ज करें तथा उचित कार्यवाही करेंगे (FIR केवल महिला पुलिस कर्मी ही लिखेंगी)

घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा मर्यादित तरीके से पूछताछ करना

पी आर वी कर्मी की भूमिका (बलात्कार या बलात्कार का प्रयास)

- वाहन एवं समस्त साक्ष्यों को पीले रंग की पट्टी (येलो टेप) से सुरक्षित करना एवं किसी भी वस्तु को न स्वयं छूना और ना किसी को छूने देना
- महिला थानाध्यक्ष/ आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना
- वाहन/घर /परिषद के जिन स्थानों पर उँगलियों के निशान आदि मिलने की संभावना है तो उसे सुरक्षित करना
- स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुँचने पर घटनास्थल, पीड़िता, वाहन/घर /परिषद एवं अभियुक्तों को उन्हें सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने को हस्तांतरित करना

पी आर वी कर्मी की भूमिका (बलात्कार या बलात्कार का प्रयास)

- **यदि बलात्कार या बलात्कार का प्रयास की घटना चलते वाहन में हो रही है** और पीड़िता एवं अभियुक्त बरामद नहीं होता है तो सूचनाकर्ता को स्थानीय थाने पर ले जाकर घटना को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/ दिवसाधिकारी या थानाध्यक्ष अथवा हेड मोहर्रिर / हेड कांस्टेबल) को हस्तांतरित करना

- प्रयोग किये जाने वाले वाहन की सूचना DCR/CCR को, वाहन नं० , रंग, मॉडल एवं वाहन में उपलब्ध लोगों की संख्या ,पहचान चिन्ह, तथा वाहन की जाने की दिशा आदि, दें |

- किसी भी प्रकार के फोटो या वीडियो जिससे महिला की पहचान उजागर हो नहीं लेना चाहिए(228 A भा0 द0 स0) |

केस स्टडी

- इवेंट नं - P07051905887

- कॉलर ने क्या कहा -

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

महिला तस्करी

महिलाओं की तस्करी न सिर्फ देश में वरन विदेशों के लिए भी होती है, इसके प्रमुख कारण हैं:

- यौनाभिचार करना या करने का प्रयास करना
- बंधक बना के काम करवाना (बंधुआ मजदूरी)
- अंग तस्करी एवं अवैध प्रत्यारोपण
- वैश्यावृत्ति
- भिक्षावृत्ति

वैश्या और वैश्यावृत्ति क्या होता है ?

- वाणिज्यिक (व्यवसायिक) प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरूपयोग- ऐसा करने वाले को **वैश्या** कहा जाता है- **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, धारा 2 (च)**
- लैंगिक शोषण या दुरूपयोग के प्रयोजन के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो से अधिक वैश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मकान, कक्ष, वाहन या स्थान वैश्यागृह कहलाता है- **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, धारा 2 (क)**
- कार्यवाही करने का हेतु **सहायक/उपपुलिस अधीक्षक** को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया है- **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, धारा 13**

कानूनी प्रावधान - वैश्यावृत्ति

- **धारा-509 IPC-** शब्द, अंग-विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हो। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड-3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

- **धारा-366 क IPC-** अवयस्क लड़की को अवैध सम्भोग के लिए विवश करने हेतु किसी स्थान ले जाने या कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 96 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड-10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

- **धारा-366 ख IPC-** 21 वर्ष से कम आयु के किसी लड़की को अवैध संभोग करने के लिए विवश करने हेतु विदेश से

कानूनी प्रावधान - वैश्यावृत्ति

- **धारा 228 क IPC-** कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण- बलात्संग की पीड़िता के किसी नाम या अन्य बात को जिससे उसकी पहचान हो सकती है, के मुद्रण या प्रकाशन के लिए (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड**- 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- **धारा-166 क IPC -** 326 क, 326 ख, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 376 क, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क, 376 घ ख, 376 ड़ तथा 509 IPC की सूचना दर्ज करने में असफल रहने के लिए (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 199 द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड**- 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

कानूनी प्रावधान

- **धारा-166 ख IPC -** पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड-धारा-326क, 376 क, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क, 376 घ ख या 376 ड़ के पीड़ित का सरकारी या प्राइवेट चिकित्सालय द्वारा उपचार न करने के लिए (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 200 द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड-** 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों।
- **धारा-46 CRPC** (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित)
    1. अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कोई पुरूष अधिकारी किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा।
    2. असाधारण परिस्थियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। असाधारण परिस्थियों में भी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से

कानूनी प्रावधान

- **धारा-154 CRPC** (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 द्वारा प्रतिस्थापित) अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करने, अम्ल फेकने या फेकने का प्रयत्न करनें, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, लैंगिक उत्पीड़न, विवस्त्र करने के लिए स्त्री पर हमला, दृश्यरतिकता, किसी स्त्री का पीछा करने, बलात्संग, शब्द, अंगविक्षेप या स्त्री की लज्जा का अनादर करने के कार्य सम्बन्धी अपराध की सूचना (एफ0आई0आर0) महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी। ऐसी महिला के स्थाई या अस्थाई निःसक्त होने पर सूचनाकर्ता के निवास या उसके विकल्प के किसी सुगम स्थान जाकर पर इत्तला दर्ज की जायेगी और ऐसी इत्तला दर्ज किये जाने का वीडियो फिल्म तैयार किया

कानूनी प्रावधान

- **धारा-161 CRPC** (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 द्वारा प्रतिस्थापित) स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला लैगिंक उत्पीड़न विवस्त्र करने के लिए हमला, दृश्यरतिकता, स्त्री का पीछा करना, बलात्संग और किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए किये गये कार्य सम्बन्धी अपराध के पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

- **धारा-157 CRPC -** (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 द्वारा प्रतिस्थापित) बलात्संग के अपराध के पीड़िता के कथन पीड़िता के निवास या उसकी इच्छा के स्थानपर और किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या क्षेत्र के

पी आर वी कर्मी की भूमिका (वैश्यावृत्ति/ देह व्यापार)

- सर्वत्र निगरानी रखना - स्पा, सलून, टी-स्टाल, आदि
- स्थानीय थाने के PRV प्रभारी के नेतृत्व में अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से मौके पर पहुंचकर भवन को कार्डन करना , यदि घटना से संबंधित कोई व्यक्ति घटनास्थल से पलायन का प्रयास करता है तो उसे हिरासत में लेना
- जनपदीय स्तर पर गठित commitee को तत्काल तलाशी हेतु उपलब्ध करने हेतु DCR /CCR को उपलब्ध करना ताकि अधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा सके |
- स्थानीय थानाध्यक्ष/ क्षेत्राधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने पर उनके सहयोगी की भूमिका अदा करना
- PRV के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल, पीड़िता, अभियुक्त एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा

केस स्टडी

- इवेंट नं - P05051904880

- कॉलर ने क्या कहा -

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

CO व ATR रिमार्क

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P05051904880	05-05-2019 11:44:15	05-05-2019 11:47:54	--

District	Police Station	Area	Tehsil
KANPUR DEHAT	SHIVALI	KND-AREA-ASP	--

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
FEM_SEXL_HARSMT	PROSTITUTION	SHIVLA KESRI NEWADA NR BY THEKA DG- KND-CO-RASOOLABAD KANPUR DEHAT

Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
संध्या	8756197450	,,,,,	GENERAL

Remarks	CO Name(CO id)
CALLER NUMBER:8756197450 घटना अभी की है,, # LBS CALL.... माँ बाप संध्या जी के साथ गलत काम कर रहे है SHIVLA KESRI NEWADA NR BY THEKA DG- KND-CO-RASOOLABAD KANPUR DEHAT,KND2698,INFO ROIP,INFO PS SHIVALI ,CALLER KE NO PAR INCOMING CALL KI SUBIDHA NAHI HAI BAT NAHI HO PA RHI HAI,CALLER KE NO PAR INCOMING CALL KI SUBIDHA NAHI HAI BAT NAHI HO PA RHI HAI,CALLER KE NO PAR INCOMING CALL KI SUBIDHA NAHI HAI BAT NAHI HO PA RHI HAI,PURE GAV ME KAFI DER TAK TALASH KIYA TO SANDHYA KUSHWAH , SANDHYA RAIDASH JO APANI SASURAL ME HAI, SANDHYA RATHUR JO APANI SASURAL ME HAI HAI KE YHA	JYOTI MISHRA (575707)

विचारणीय बिंदु

- क्या आप कॉल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या

- कन्या भ्रूण हत्या समाज के लिए एक अभिशाप है
- आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ सामाजिक भेद-भाव किया जाता है और लड़कों के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है
- मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा भ्रूण लिंग की अवैध जांच और अवैध गर्भपात
- यह समाज में लिंगानुपात को विकृत करने का मुख्य कारक है

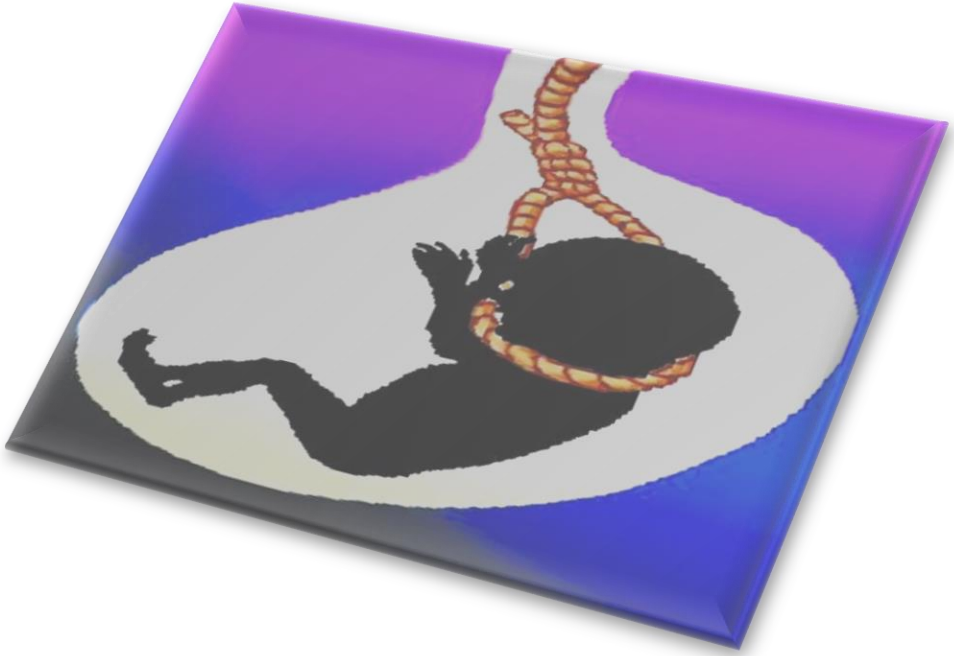

कानूनी प्रावधान - गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या

- **धारा-312 IPC-** स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन से गर्भपात कारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड-7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- **धारा-313 IPC-** स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड-10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- **धारा-314 IPC-** गर्भपात कारित करने के लिए किये गये कार्य द्वार स्त्री की मृत्यु। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 90 द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड-10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, यदि गर्भपात स्त्री के सम्मति के बिना किया जाए तो

  आजीवन तक कारावास अथवा उपरोक्त वाद।

कानूनी प्रावधान - गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या

- गर्भ के बने रहने से स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ने अथवा उसके शारीरिक या मानसिक रूप से गम्भीर खतरा अथवा बच्चा पैदा होने पर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने के आशंका होने पर 12 सप्ताह के गर्भ का समापन
- परन्तु 12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक के गर्भ का समापन कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अनुमोदन पर ही किया जा सकता है (गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971)

- लिंग चयन पर प्रतिषेध- **धारा 3क** PCPNDT Act 1994
- ऐसे व्यक्तियों प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, आदि को जो पंजीकृत नहीं है, अल्ट्रासाउंड विक्रय पर प्रतिषेध- **धारा- 3ख** PCPNDT Act 1994
- कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है- **धारा 17**

एक अनुत्तरित घटना

- इवेंट नं - P27021905723
- कॉलर ने क्या कहा

Audio 5 DOM_VIO.wav

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

CO व ATR रिमार्क

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P27021905723	27-02-2019 15:29:06	27-02-2019 15:31:03	--

District	Police Station	Area	Tehsil
LUCKNOW	MAAL	LKW_AREA_RURAL	--

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
DOM_VIOLENCE	HUS_BEAT_WIFE	GOPRAMAU MOD/ TIRAHA,LUCKNOW,,LKW-MALIHABAD

Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
BABLI WO AMIT SINGH	9956765974	MALE,INDIAN,,,,VOTER ID	GENERAL

Remarks	CO Name(CO id)
CALLER NUMBER:9956765974 ,,,, पति AMIT SINGH ने मारा है,,घटना अभी की है ,,GOPRAMAU MOD/ TIRAHA,LUCKNOW,,LKW-MALIHABAD,...INFO TO PRV-LKW0524...INFO TO ROIP ,MAUKE PAR KOI NHI MILA.CALLAR KA PHONE NAHI LAG RHA H.CALLAR KE MOBILE ME BALANCE NHI H.	NEHA SHA (562552)

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

घरेलू हिंसा

- हिंसा करने वाले की कोई विशेष पहचान नहीं होती है ना ही वे किसी विशेष वर्ग, उम्र या धर्म से सम्बन्धित होते हैं, ये अपने ही जीवनसाथी या परिवार के व्यक्ति होते हैं
- औरतों के लिए घर सबसे सुरक्षित जगह है पर सच्चाई यह है कि औरतों पर हिंसा की वारदातें अक्सर घरों के अंदर, सगे-संबंधियों व दोस्तों-जानकारों द्वारा

घरेलू हिंसा

- किसी के भी समक्ष अपमानजनक व्यवहार
- शारीरिक दुर्व्यवहार (मारपीट करना इत्यादि)
- धमकी देना
- तिरस्कार करना
- यौन शोषण
- भावनात्मक दुर्व्यवहार
- आत्महत्या के लिए उकसाना

घरेलू हिंसा - कानूनी परिभाषा (धारा - 3)

घरेलू हिंसा के प्रयोजन के लिए प्रयुक्तर दाता का कोई कार्य या कार्य करण या अन्तरण घरेलू हिंसा गठित करे या यदि वह

1. व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ सुरक्षा जीवन अंग की या उसकी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ की हानि करता है या कोई क्षति पहुचाता है या संकट उत्पन्न करता है या उसका ऐसा करने की प्रवृति है और जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुरूपयोग और आर्थिक दुरूपयोग कारित करता है/ या

2. किसी दहेज़ या अन्य संपत्ति या मूल्यांकन प्रतिभूत के लिए किसी गैर कानूनी मांग की पूर्ति के लिए या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति तंग करता या उसको हानि करता है या संकट उत्पन्न करता है

3. किसी आचरण द्वारा व्यक्ति या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर धमकी देने का प्रभाव रखता है

घरेलू हिंसा का वर्गीकरण

1. शारीरिक दुरूपयोग :- शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन को अंग भंग स्वास्थ्य को खतरा
2. लैंगिक दुरूपयोग :- लैंगिक दुरूपयोग का कोई आचरण शामिल है जो महिला की गरिमा का दुरूपयोग, अपमान व तिरस्कार करता या अतिक्रमण करता है
3. मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग:- अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली जो विशेष रूप से संतान या नर बच्चे (बालक) के न होने के सम्बन्ध में अपमान व उपहास व शारीरक पीड़ा करने की पुनरावृत्ति धमकी देना
4. आर्थिक दुरुपयोग:-
   1. आर्थिक व वित्तीय संसाधनों जिनके लिए किसी व्यक्ति या रूढ़ी के अधीन हकदार है चाहे उपरान्त के किसी आदेश के अधीन या किसी व्यक्ति के किसी आवश्यकता के लिए यदि कोई हो के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं

घरेलू हिंसा का वर्गीकरण

2. चल या अचल संपत्ति जिसके प्रयोग के लिए वह स्त्री हकदार है उसे अलग करना
3. ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक जिसका घरेलू नातेदारी के परिणाम स्वरूप कोई व्यथित व्यक्ति उपयोग या उपभोग करने के हकदार है जिसके अंतर्गत साझे गृहस्थी तक शामिल हैं पूर्ति या निर्वहन

- **विधिक व्यवस्था:**
- **<u>घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य:</u>**
  - यदि घरेलू हिंसा सम्बन्धी कोई सूचना उपरोक्त वर्णित को प्राप्त होती है तो वह सूचनाकर्ता को बताएगा कि इस घटना में वह **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987** के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है|

कानूनी प्रावधान - घरेलू हिंसा

- **धारा 31:** प्रत्युत्तर दाता द्वारा संरक्षण आदेश के भंग की स्थिति-
- **दण्ड** प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी आंतरिक आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा तथा इसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास अथवा 20000 रु. तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं|
- **धारा 33:** संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने की स्थिति-
- **दण्ड** यदि कोई संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों/ दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास अथवा 20000 रु. तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं|
- **धारा-370 क IPC-** दुर्व्यापार किये गये व्यक्ति का शोषण। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड-** अवयस्क के लैगिंक शोषण की स्थिति में 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना तथा वयस्क की स्थिति में 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

पी आर वी कर्मी की भूमिका (घरेलू हिंसा)

- मौके पर पहुचकर दोनों पक्षों की बात सुनकर स्थानीय लोगों या परिवार के लोगों की मदद से संभावित समस्या का निराकरण करना
- महिला थानाध्यक्ष / महिला आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना
- विधिक व्यवस्था से दोनों पक्षों को अवगत करना
- दोनों पक्षों को स्थानीय थाने पर ले जाकर प्रकरण को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/ दिवसाधिकारी अथवा हे0मो0 / कां0 मो0) को हस्तांतरित करना

दहेज़ उत्पीड़न

- शादी के पूर्व एवं बाद दहेज़ मांगना और दहेज़ के लिए दबाव बनाना या उसको प्रताड़ित करना
- मारपीट, गाली-गलौज या अपशब्द प्रयोग करना
- हत्या या जला देना
- क्रूरता (खाना न देना एक ही कमरे में बंद रखना इत्यादि)
- आत्महत्या के लिए उकसाना

कानूनी प्रावधान - दहेज सम्बन्धी

- **धारा-498 क IPC-** पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता (दहेज़ के लिए या अन्य कारणों से) (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 द्वारा प्रतिस्थापित)
- **दण्ड-** 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- **दहेज देने या दहेज़ लेने के लिए दण्ड -** 05 वर्ष का कारावास और 15000 रु० या दहेज़ के मूल्य की रकम तक जो अधिक हो- दण्डनीय धारा 03 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961
- **दहेज़ मांगने के लिए दण्ड-** 06 माह से 02 वर्ष तक कारावास और 10000 तक जुर्माना धारा 04 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961

कानूनी प्रावधान - दहेज सम्बन्धी

- **दहेज के विज्ञापन पर पाबन्दी-** 06 माह से 05 वर्ष तक कारावास और 150000 तक जुर्माना धारा 04 क दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961
- **धारा-304ख IPC- दहेज मृत्यु-** (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 द्वारा प्रतिस्थापित)
  - **दण्ड** 07 वर्ष से आजीवन कारावास तक
  - **धारा-306 IPC-**आत्महत्या का दुष्प्रेरण
  - **दण्ड**-10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
- **दहेज का पत्नी या उसके वारिसों को अंतरित ना करना-** 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या 5000 रु० से 10000 तक जुर्माना या दोनों धारा 06 दहेज

पी आर वी कर्मी की भूमिका (दहेज उत्पीड़न)

- IPC 498 A - महिला उत्पीड़न (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 द्वारा प्रतिस्थापित)
- महिला थानाध्यक्ष / महिला आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना
- दोनों पक्षों को स्थानीय थाने पर ले जाकर प्रकरण को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/ दिवसाधिकारी अथवा हे0मो0 / कां0 मो0) को हस्तांतरित करना

केस स्टडी

- इवेंट नं -P11051901432
- कॉलर ने क्या कहा -

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे

CO व ATR रिमार्क

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P11051901432	11-05-2019 06:04:03	11-05-2019 06:06:55	--

District	Police Station	Area	Tehsil
GHAZIABAD	LONI	GZB-AREA-RA	--

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
THREAT_IN_PERSON	THREATEN_TO_KILL	KIRAUDI NR BY BADI CHOPAL OR BADI MASZID DG GZB-CO-FIVE GHAZIABAD

Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
रानी W/O AMIR	9717734135	,,,,,	GENERAL

Remarks	CO Name(CO id)
DONO PAKSO KO PS LONI PR SUPURD KIYA GAYA HAI BAD TAHRIR KARYAWAHI,CALLER BAR BAR PHONE KAAT RHA H,CALLER NUMBER:9717734135 ,,,,,,घटना अभी की है ,,,,LBS CALL,,,,,,,,रानी जी ने बताया है की ससुराल वाले गला घोटकर जान से मार देंगे ,,,जान का खतरा है ,,, ,,KIRAUDI NR BY BADI CHOPAL OR BADI MASZID DG GZB-CO-FIVE GHAZIABAD,DONO PAKSO KO PS LONI PR LE JA RAHI H,GZB2171ACKNOWLEDGE	BULBUL (594980)

विचारणीय बिंदु

- क्या आप कॉल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

हस्तांतरण पश्चात की सूचना

बहु ने लगाया ससुर पर जबरन RAPE का आरोप

गाजियाबाद। क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर महिला का उत्पीडन्न करने का मामला प्रकाश में आया है.पीड़िता ने थाना लोनी में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक महिला का निकाह थाना लोनी कोतवाली अंतर्गत एक गांव के युवक के साथ लगभग साढ़े आठ माह पूर्व हुआ था.

पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बीस लाख रूपये की मांग को ल ेकर उसके साथ मारपीट करते थे उसके ससुर ने एक रोज उसे घर में अकेला देखकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.महिला के पति पर भी आप प्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है.

स्रोत: UPK Live, Sunday, 12 May 2019

अपहरण/ व्यपहरण

- किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, बल पूर्वक किसी अज्ञात स्थान पर ले जाना या चलने को विवश करना अपहरण है
- इसका उद्देश्य फिरौती, रंजिश, मानव तस्करी आदि हो सकते हैं

कानूनी प्रावधान

- **व्यपहरण-** 16 वर्ष से कम आयु के पुरूष अथवा 18 वर्ष से कम आयु की महिला या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या बहकाकर ले जाना या किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाना।
- **अपहरण-** किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करना या प्रवेचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करना।
- **धारा-363 IPC- दण्ड-**7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
- **धारा-366 IPC-** विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। किसी स्त्री के इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने हेतु या उस स्त्री को अवैध संभोग के लिए विवश करने हेतु अपहरण या व्यपहरण। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 87

पी आर वी कर्मी की भूमिका (अपहरण)

- यदि घटना तत्काल घटित हुई हो तो अपहरण में प्रयुक्त वाहन की पंजीयन संख्या, प्रकार, रंग तथा अपहरणकर्ताओं की संख्या, कपड़े, हुलिया एवं भागने की दिशा की जानकारी कर स्वयं पीछा करना तथा सम्पूर्ण जनपद में तलाशी हेतु समस्त सूचना माध्यमों से जनपद नियंत्रण कक्ष को अवगत कराना
- बरामदगी की दशा में अपहृता एवं अपहरणकर्ताओं को सुरक्षित अभिरक्षा में लेना, थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना तथा महिला थानाध्यक्ष को घटनास्थल पर भेजने के लिये जनपद नियंत्रण कक्ष को निवेदन करना

पी आर वी कर्मी की भूमिका (अपहरण)

- PRV के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल, अभियुक्त एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित करना
- महिला थानाध्यक्ष एवं स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें अपहृता एवं अपहरणकर्ताओं को सुपुर्द कर घटना को हस्तांतरित करना
- आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना

पी आर वी कर्मी की घटना के दौरान प्राथमिक भूमिका

- MDT पर सूचना को Acknowledge, en route इंगित करना एवं सूचना कर्ता तथा उच्च अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए घटनास्थल पर पहुंचते ही Arrive इंगित करना
- सूचना देने वाले से सम्पर्क कर उससे विनम्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराना एवं घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करना
- PRV के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल, पीड़िता, अभियुक्त एवं अन्य कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित करना
- घटना स्थल से बरामद शस्त्र ,शव ,घायलों एवं साक्ष्यों को सुरक्षित करना एवं घायलों को एम्बुलेंस द्वारा प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल रवाना करना
- PRV के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित की जायेगी एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर घटनास्थल से रवाना होंगे

महिला सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ

- कार्यवाही के समय पीड़ित महिलाओं द्वारा पारिवारिक सदस्यों का पक्ष लेकर कार्यवाही करने से रोकना
- महिला पुलिस कर्मियों का समय पर घटना स्थल पर ना पहुंचना
- कई बार परिजनों द्वारा पीड़िता से PRV कर्मियों को संपर्क नहीं करने दिया जाता है
- महिला पुलिस के बिना घर के अन्दर जाकर पीड़िता की मदद संभव नहीं हो पाती है

महिला सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ

- कई बार महिलाएं, पुरुष पुलिस कर्मियों से अपनी समस्या साझा नहीं कर पाती हैं
- यदि दोनों पक्ष महिला है तो विवाद की दशा में बिना महिला पुलिस के स्थिति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है
- पीड़िता अथवा सूचनाकर्ता से संपर्क न हो पाने की दशा में महिला के नाम से जानकारी मिलना कठिन होता है

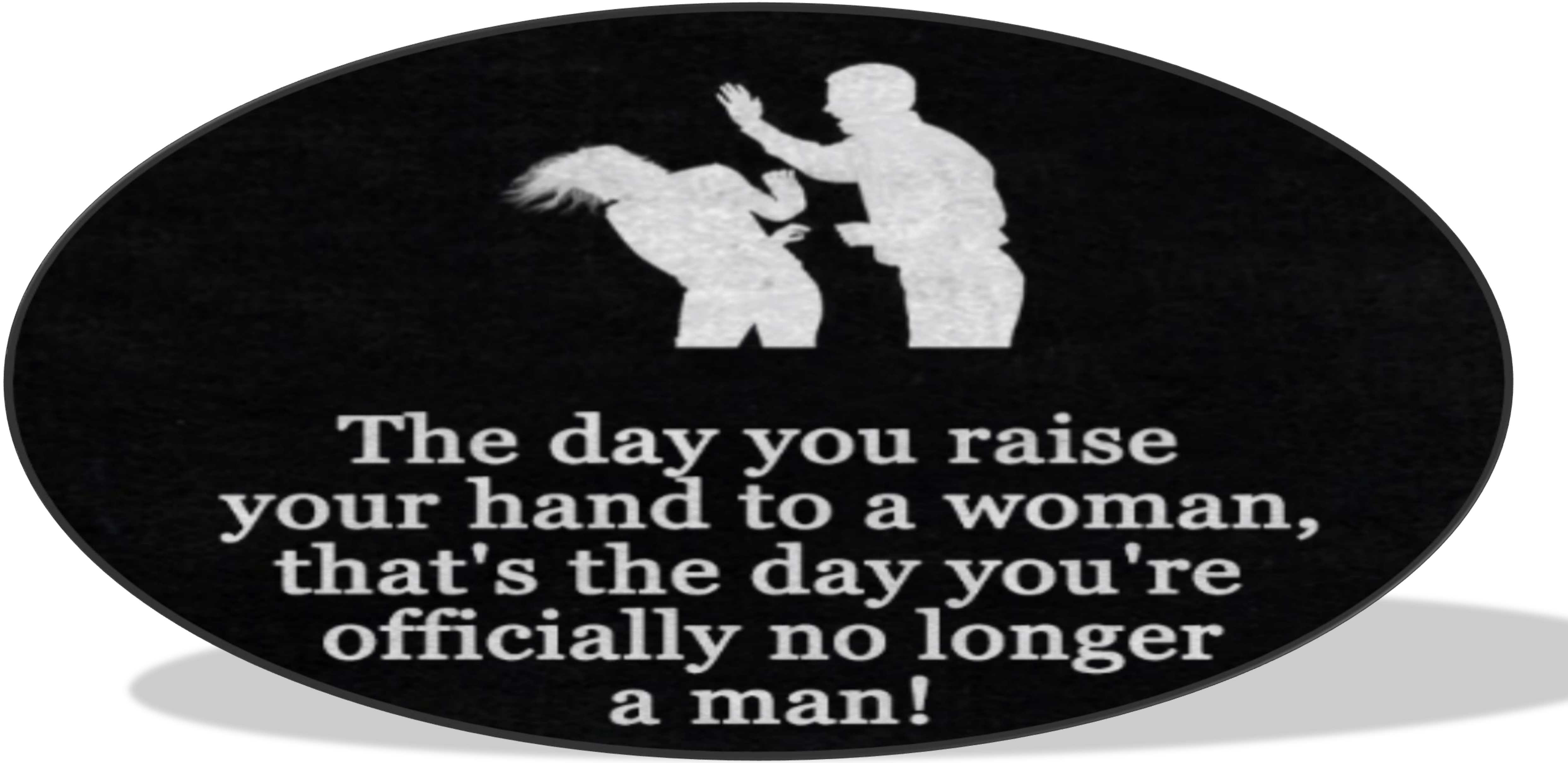
The day you raise
your hand to a woman,
that's the day you're
officially no longer
a man!

हेल्प लाइन

- 112 आपातकालीन से
- 181 आशा ज्योति कें
- 1090 वूमन पावर ला
- 1098 चाइल्ड लाइन

वूमेन पावर लाइन-1090

- कोई भी पीड़ित महिला या उसकी महिला रिश्तेदार अपनी शिकायत इस नंबर पर नि:शुल्क दर्ज करवा सकती है।
- शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
- पीड़िता को किसी भी हालत में पुलिस थाने या किसी आफिस में नहीं बुलाया जाएगा।
- हेल्पलाइन में हर हाल में महिला पुलिस अधिकारी ही पीड़िता की शिकायत दर्ज करेगी।
- महिला पुलिस कर्मी अपने वरिष्ठ पुरूष पुलिस कर्मियों को पीड़ित की केवल उतनी ही जानकारी या सूचना उपलब्ध करवाएगी, जो विवेचना में सहायक हो सके।
- कॉल सेंटर दर्ज शिकायत पर तब तक काम करता रहेगा

आशा ज्योति केंद्र 181

- महिलाओं एवं बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर रेस्क्यू वैन तथा रेस्क्यू टीम के माध्यम से घटना स्थल पर तत्काल पहुंचकर सहायता प्रदान की जाती हैं |
- महिलाएं एवं बच्चे घरेलू हिंसा चिकित्सा परामर्श, क़ानूनी परामर्श, पुलिस सहायता तथा अन्य प्रकार की समस्या के समाधान की जानकारी हेतु कॉल कर सकती है|
- 181 पर कॉल कर के कोई भी महिला अपने अधिकारों की या विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकती है|
- महिलाएं टैली काउंसलिंग सुविधा द्वारा भी प्रशिक्षित

क्विज़

- रास्ते में एक विक्षिप्त महिला मिलती है जिसको घरवालों ने निकल दिया है? आप क्या करेंगे?
  - उसको यथास्थिति में छोड़ देंगे
  - उससे स्थिति को समझ कर FIR दर्ज कराने थाने ले जाएंगे
  - महिला पुलिस को सूचित कर वहां से चले जाएंगे
  - सम्बन्धित महिला थाने को सूचित करते हुए उपयुक्त NGO की सहायता लेंगे

उत्तर: सम्बन्धित महिला थाने को सूचित करते हुए उपयुक्त NGO की सहायता लेंगे

क्विज़

- हिंसा कितने प्रकार के होती है?
    - 3
    - 4
    - 5
    - 2

उत्तर: 4 (शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक)

क्विज़

- एक विवाहित महिला को लड़के का जन्म न होने के कारण ताना दिया जाता है| यह किस प्रकार की हिंसा है?
  - शारीरिक
  - सामाजिक
  - आर्थिक
  - मानसिक

उत्तर: मानसिक

यहाँ पर उसे समाज में नीचा नहीं दिखाया जा रहा है तथा कोई मार-पीट अथवा आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है

क्विज़

- नौकरी कर रही महिला का वेतन परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा ले लेना किस हिंसा के अंतर्गत आता है?
  - शारीरिक
  - सामाजिक
  - आर्थिक
  - मानसिक

उत्तर: आर्थिक

इसके कारण पीड़ित महिला की आर्थिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है

क्विज़

- अपहरण तथा व्यपहरण में क्या अंतर है? वर्णन करें

उत्तर:

व्यपहरण- 16 वर्ष से कम आयु के पुरूष अथवा 18 वर्ष से कम आयु की महिला या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या बहकाकर ले जाना या किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाना

अपहरण- किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करना या प्रवेचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करना।

प्रश्नोत्तर

निष्कर्ष

सन्दर्भ

क्र० सं०	विभाग/संस्था/कार्यालय	यूआरएल/प्रकाशन/रिपोर्ट
1	महिला एवं बाल विकास संस्थान (भारत सरकार)	
2	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ	http://wcd.nic.in/bbbp-schemes
3	यूपी 112 SOP	

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

अब घर तक की दूरी सिर्फ... 112

रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच अकेली महिलायें क्या करें:

- 112 पर कॉल करके एस्कोर्ट करने के लिए अनुरोध करें
- अपनी लोकेशन, निकटतम पहचान चिन्ह यदि ज्ञात हो तो उसे शेयर करें
- पुलिस वाहन के आने तक किसी सुरक्षित स्थान पर रहें

आपकी मदद के लिये पुलिस वाहन आप तक पहुँचेगा

आपको आप के घर तक सकुशल एवं सुरक्षित एस्कोर्ट किया जाएगा

112 आपात सेवा सोशल मीडिया

Twitter
@112UttarPradesh

SMS
7233000100

E-Mail
100@up100.uppolice.gov.in

Facebook
@112UttarPradesh

Whatsapp
7570000100

Citizen Portal
Up100.uppolice.gov.in

Sources to Connect 112

धन्यवाद!